

पत्रांक- म० भो०/को०-104/2013

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना।

वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना।

पटना, दिनांक

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास का खाद्यान्न आवंटन के संबंध में।

प्रसंग: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक No.5-1/2014-Desk (MDM) दिनांक 05.02.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास का आवंटन दिया जा रहा है। प्रथम त्रैमास का आवंटन (अप्रैल-2014 से जून-2014) निम्न प्रकार जिलावार उपआवंटित किया जा रहा है।

प्रथम त्रैमास (2014-15) के लिये जिलावार आवंटन									
क्र०स०	जिला का नाम	I-V				VI-VIII			
		नामकन	औसत लाभान्वित	लाभान्वित का प्रतिशत	प्रथम त्रैमास का आवंटन (मात्रा MT में)	नामकन	औसत लाभान्वित	लाभान्वित का प्रतिशत	प्रथम त्रैमास का आवंटन (मात्रा MT में)
1	अररिया	390846	252083	64	630.21	132307	72196	55	271
2	अरवल	101691	71183	70	177.96	47931	31588	66	118
3	औरंगाबाद	371919	260343	70	650.86	164288	115001	70	431
4	बांका	277034	193923	70	484.81	118249	82086	69	308
5	बेगूसराय	409362	242295	59	605.74	179727	107068	60	402
6	भागलपुर	399468	248950	62	622.37	166149	105374	63	395
7	भोजपुर	325777	228043	70	570.11	143544	100480	70	377
8	बक्सर	247234	173063	70	432.66	116261	81491	70	306
9	दरभंगा	493510	345457	70	863.64	207814	134580	65	505
10	पूर्वी चम्पारण	799578	530171	66	1325.43	268796	188157	70	706
11	गया	577004	403902	70	1009.76	226731	153594	68	576
12	गोपालगंज	326261	228382	70	570.96	153424	107396	70	403
13	जमुई	285023	199516	70	498.79	98926	69248	70	260
14	जहानाबाद	157788	110451	70	276.13	68805	47560	69	178
15	कैमूर	231363	161316	70	403.29	108356	70751	65	265
16	कटिहार	471771	272957	58	682.39	193275	125946	65	472

17	खगड़िया	250228	130092	52	325.23	105488	50373	48	189
18	किशनगंज	254673	178271	70	445.68	90582	61853	68	232
19	लखीसराय	140133	98093	70	245.23	61671	41645	68	156
20	मधेपुरा	337314	225808	67	564.52	134041	85010	63	319
21	मधुबनी	635183	388185	61	970.46	271070	188251	69	706
22	मुंगेर	169577	118703	70	296.76	79613	55729	70	209
23	मुजफ्फरपुर	611837	428285	70	1070.71	271939	181930	67	682
24	नालन्दा	349802	244861	70	612.15	137577	96303	70	361
25	नवादा	322993	224705	70	561.76	116273	74213	64	278
26	पटना	533715	319555	60	798.89	211830	136727	65	513
27	पूर्णिया	506993	329881	65	824.70	158087	107878	68	405
28	रोहतास	371566	260096	70	650.24	169849	118894	70	446
29	सहरसा	307175	199100	65	497.75	106404	63889	60	240
30	समस्तीपुर	599652	391228	65	978.07	253471	168202	66	631
31	सारण	520029	308335	59	770.84	238961	135361	57	508
32	खैरपुरा	89646	62752	70	156.88	37765	26435	70	99
33	शिवहर	95769	55173	58	137.93	32368	18405	57	69
34	सीतामढ़ी	517651	356706	69	891.76	176151	121690	69	456
35	सिवान	395568	276897	70	692.24	189092	128701	68	483
36	सुपौल	321119	223424	70	558.56	131613	85674	65	321
37	वैशाली	405428	221865	55	554.66	218591	99645	46	374
38	प० चम्पारण	560735	392514	70	981.29	169685	118779	70	445
कुल		14162415	9356564	66	23391.41	5756704	3758101	65	14093

नोट:- क्र०स० 3,7,11,12,13,22,28,32 एवं 38 जिला का औसत लाभान्वित 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण इन जिला को 70 प्रतिशत औसत लाभान्वित पर आवंटन दिया जा रहा है।

2. प्रथम त्रैमास 2014-15 में भारत सरकार से प्राप्त कुल खाद्यान्न का विवरणी :-

भारत सरकार से प्रथम त्रैमास 2014-15 का प्राप्त आवंटन (मात्रा MT में)		जिलों को प्रथम त्रैमास 2014-15 में कुल उपावंटन (मात्रा MT में)		प्रथम त्रैमास 2014-15 में आकस्मिकता हेतु सुरक्षित कुल खाद्यान्न (मात्रा MT में)	
वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII
50760	28350	23391.41	14093	27368.59	14257

3. यह आवंटन गत वर्ष के औसत लाभान्वित के आधार पर है। यदि आपका आवंटन कम या ज्यादा हो तो आप प्रयाप्त कारण बताते हुए अतिरिक्त आवंटन की माँग कर सकते हैं। विद्यालय में उपस्थित सभी छात्रों को भोजन करवाना अनिवार्य है।

4 जिस त्रैमास के लिए खाद्यान्न का आवंटन होगा, उस त्रैमास के पूर्व के माह की पहली तारीख से उस त्रैमास के अंतिम माह की 25 वीं तारीख के बीच खाद्यान्न के उठाव की अनुमति भारतीय खाद्य निगम को देनी होगी। (उदाहरणार्थ, अप्रैल-जून, 2010 के त्रैमास हेतु खाद्यान्न के उठाव की वैधता 01 मार्च, 2010 से 25 जून, 2010 तक होगी) खाद्यान्न के उठाव की मात्रा में भारतीय खाद्य निगम कोई परिवर्तन नहीं करेगा। खाद्य एवं लोक वितरण विभाग के पत्रांक 4-3/2008-9-BP-II, दिनांक 09.09.2009 एवं भारतीय खाद्य निगम के पत्रांक 26.01.2009-10/MDM-S-IX/Vol II, दिनांक 16.11.2009 द्वारा भारतीय खाद्य निगम के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस हेतु विशद दिशा निर्देश दिया गया है।

भारत सरकार से प्राप्त निदेशानुसार आवंटित खाद्यान्न का उठाव आवंटन अवधि से एक माह पूर्व में भी किया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के स्तर पर आवश्यकतानुसार इस निदेश का अनुपालन किया जायेगा।

5. भारतीय खाद्य निगम के पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी के संयुक्त निरीक्षण दल, निरीक्षण के पश्चात् यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न FAQ गुणवत्ता वाला है। Consignee receipt (तीन प्रतियों में) भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। उक्त अभिमत की एक प्रति उठाव करने वाले पदाधिकारी (राज्य खाद्य निगम) के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति जिला स्तर पर भुगतान करने वाले पदाधिकारी जिला (मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी) के पास रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रहेगा।
6. (i) जिला प्रशासन के प्रतिनिधि भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि तथा राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधि संयुक्त निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन योजना के लिए दिये जाने वाले खाद्यान्न के तीन नमूने लेंगे और इन्हें सील कर पहला नमूना जिला प्रशासन के पास, दूसरा नमूना भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय के पास और तीसरा नमूना राज्य खाद्य निगम के जिला कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
(ii) इन नमूनों को तीन माह तक सुरक्षित रखा जायेगा। यदि इस अवधि में खाद्यान्न में गुणवत्ता की शिकायत आती है तो इस नमूने से उसका मिलान कर संभावित विचलन की जिम्मेवारी निर्धारित किया जा सकेगा। खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को खाद्यान्न स्थानान्तरित करने के हर स्तर पर अपनाया जायेगा, जब तक कि यह खाद्यान्न बच्चों के उपयोग हेतु स्थल पर नहीं पहुँच जाता है।
7. राज्य से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् जिला प्रशासन खाद्यान्न की आवश्यकता, परिवहन की सुविधा एवं भंडारण की क्षमता के आलोक में खाद्यान्न के उठाव हेतु Schedule स्थानीय भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायेगा। राज्य खाद्य निगम तदनुसार भारतीय खाद्य निगम से मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित करेगा और जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित प्रकार से विद्यालयों को आवश्यकतानुरूप खाद्यान्न निर्गत करेगा।
8. भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उसके गोदाम में हमेशा खाद्यान्न उपलब्ध रहे, जो किसी भी परिस्थिति में Fair Average Quality (FAQ) से कम गुणवत्ता का न हो। भारतीय खाद्य निगम एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखेगा।
9. जिला प्रशासन एवं भारतीय खाद्य निगम का डिपो यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित खाद्यान्न से अधिक खाद्यान्न का उठाव नहीं हो।
10. इसी माह में आपूर्ति किये गये खाद्यान्न के बिल भारतीय खाद्य निगम अगले माह की 10 वीं तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगा तथा जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी प्राप्त विपत्र का भुगतान जॉचोपशस्त 20 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करेगा।
11. भारतीय खाद्य निगम अपने बैंक खाता संख्या तथा भुगतान प्राप्त करने के मोड की जानकारी जिला मध्याह्न भोजन प्रभारी पदाधिकारी को देंगे। जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे खाद्यान्न की राशि का भुगतान R.T.G.S./चेक से उस खाते में करेंगे।
12. भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधक अथवा उनके प्रतिनिधि और सभी अन्य संबंधित पदाधिकारियों की जिला प्रशासन के साथ प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न के उठाव, खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भुगतान के संबंध में मासिक बैठक होगी तथा जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी प्रत्येक अगले माह की 7 वीं तारीख तक राज्य मुख्यालय (मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय) को इस संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
13. पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार मासिक प्रतिवेदन (खाद्यान्न का Monthly Progress Report) प्रत्येक माह की अगली 10 वीं तारीख तक निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार को उपलब्ध करा देंगे जिससे यह प्रतिवेदन राज्य स्तर पर संकलित करते हुए 15 वीं तारीख तक भारत सरकार को भेजा जा सके।
14. राज्य खाद्य निगम से योजना का खाद्यान्न निर्गत के समय प्रखण्ड साधन सेवी का वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है साथ ही खाद्यान्न का एक नमूना प्रखण्ड साधन सेवी के पास आगामी तीन माह के लिए सील कर रहेगा।

15. प्रबधक निदेशक ,बिहार स्टेट फूड एंड सिवल सप्लाईज कारपोरेशन लि०, पटना के पत्रांक 3096 दिनांक 18/4/11 के आलोक में जिला प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे जिला प्रबधक से सम्पर्क कर मासिक उठाव का रोस्टर तैयार करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे की प्रति माह 15वीं तारीख से लेकर 30वीं तारीख तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण हो जाए एवं MIS में प्राप्ति की मात्रा प्रदर्शित हो जाये।
16. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि MIS Generated Advice के अनुसार प्रति माह की 18 वीं तारीख तक खाद्यान्न का उपावंटन जारी कर देंगे। राज्य खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि जिलों में निर्धारित पूर्व प्रक्रिया के अनुसार त्रैमासिक अथवा मासिक S.I.O. निर्गत करेंगे जो माह की 23 वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्गत होगा।
17. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी प्रति माह की 30 वीं तारीख तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी खाद्यान्न का उपावंटन प्रविष्ट कर योजना के वेबसाईट www.mdmsbihar.org पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।
19. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, संवेदक/प्रखण्ड साधनसेवी के माध्यम से खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कराकर सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न वितरण के समय विद्यालय में पूर्व से भण्डारित खाद्यान्न का उपयोग किया जा रहा है।
20. जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की प्रत्येक विद्यालय के पास हर हालत में अगले एक माह तक उपभोग किये जाने हेतु खाद्यान्न का स्टॉक रखना अनिवार्य है, ताकि आकस्मिक परिस्थिति में योजना बाधित नहीं हो।
21. सभी प्रासंगिक पत्रों के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ५६२ / पटना, दिनांक ०२/०३/२०१५

प्रतिलिपि-सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

०६/३/३

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।